

12/01/18

उत्तराखण्ड शासन  
पशुपालन अनुभाग-2  
संख्या-236/XV-2/07(33)/2010  
देहरादून: दिनांक 12 अप्रैल 2018  
कार्यालय ज्ञाप (शुद्धि पत्र)

उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या -1 वर्ष 2018) के क्रियावन्धन में डेरी विकास विभाग में शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में कार्यालय ज्ञाप संख्या 160/XV-2/7(33)/2010 दिनांक 13 मार्च 2018 द्वारा चार सदस्यी स्थायी स्थानान्तरण समिति का गठन किया गया है, तथा इस प्रकार गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा डेरी विकास विभाग में कार्यरत श्रेणी 'क' व 'ख' के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण प्रस्तावों पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों के अनुरूप विचार किया जाना है।

2— स्थानान्तरण अधिनियम 2017 धारा 21 में प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13 मार्च 2018 में अंशिक संशोधन करते हुए शासन स्तर पर गठित स्थायी स्थानान्तरण समिति द्वारा डेरी विकास विभाग में कार्यरत श्रेणी 'क' के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण प्रस्तावों पर समयबद्ध रूप से विचार किया जायेगा।

3— उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13 मार्च 2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। कार्यालय ज्ञाप की अवशेष शर्तें यथावत रहेगी।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)  
सचिव।  
o/c

संख्या- 236 /XV-2/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० दुग्ध विकास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा० मंत्री जी, के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव अपर मुख्य सचिव, डेरी को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, सचिव, डेरी को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अपर सचिव, डेरी को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग को अपर सचिव महोदय, के संज्ञानार्थ
6. निदेशक, डेरी विकास विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड।
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(डॉ० मेहरबान सिंह बिष्ट)  
अपर सचिव।  
o/c